



भारतीय सर्वेक्षणविभाग
SURVEY OF INDIA



भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय

OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाकबक्स नं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA



फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in
E-Mail/ई-मेल: sgo.conf soi@gov.in

सं०सी- 1469/1800(1)

दिनांक: 20-04-2024

सेवामें,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र।

निदेशक: ओडीसा एवं छत्तीसगढ़ जी०डी०/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी०डी०/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी०डी०/उत्तराखण्ड जी०डी०।

विषय: मानचित्रकार डिविज़न-। से मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती(डी०पी०सी०-2024)।

निम्नलिखित मानचित्रकार डिविज़न-। को मुख्य मानचित्रकार (ग्रुप 'बी') के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

Sl. No.	Name of Officer	Persent Office	New Place of Posting
1.	Smt. Saudamini Mohanty	Odisha & Chattisgarh GD, Bhubaneswar	Odisha & Chattisgarh GD, Bhubaneswar
2.	Shri H.K.Phanbuh (ST)	M&AP GD, Shillong	M&AP GD, Shillong
3.	Shri Mohan Lal (SC)	SA&D GD, New Delhi	UP GD, Lucknow
4.	Shri Mukesh Piplani	Northern Zone, Chandigarh	AP&T GD, Hyderabad
5.	Shri Subodh Kumar(SC)	UK GD, Derhradun	Odisha & Chhattisgarh GD (Chhattisgarh Wing), Raipur


2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 01-05-2024 तक अवश्य सूचित करें।

3. कार्य ग्रहण करने का प्रमाण पत्र फार्म ओ-115-(लेखा) (द्विभाषी) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें। जिसमें कार्य ग्रहण करने की तारीख के साथ पूर्वाहन/अपराहन स्पष्ट रूप से दर्शाया हो।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों "no fresh offer of appointment on promotion shall be made in such cases for a period of one year from the date of refusal of first promotion or till a next vacancy arises, whichever is later." के अनुसार पदोन्नति से वंचित करते हुए उनसे कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

5. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी व्यक्ति के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति/PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

6. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर0 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा तथा यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत एफ0आर0 22(I)(क)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुसार करें।
7. उपरोक्त कर्मचारी मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परीक्षा पर रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें।
8. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं।
9. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Orhers Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.
10. पदोन्नत सभी अभ्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखें।


20/04/24
(प्रशान्त कुमार)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:-

1. अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र।
2. निदेशक: उत्तर प्रदेश जी0डी0/आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी0डी0/ओड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ जी0डी0 (छत्तीसगढ़ विंग)।
3. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता/जयपुर/हैदराबाद।
5. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना.1/कार्य अध्ययन एक्क/जे0सी0एम0 अनुभाग(म0स0का0)।
6. गोपनीय सहायक (म0स0का0)।
7. इंचार्ज ई-आफिस (म0स0का0)।
8. इंचार्ज वैब एडमिन(म0स0का0)।
9. PA to SGI

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *the SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs LachhmiNarain Gupta & others)* and *the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name of Officer:

Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG / DIRECTOR

वचनपत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं माननीय कोर्ट के वाद *SLP (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others VsLachhmiNarain Gupta & others)* and *the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक / निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित